

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

// // आदेश // //

क्रमांक 213 / दो-11-7 / 05

हरदा दिनांक 03 / 07 / 2025

इस न्यायिक जिला स्थापना पर रिक्त सहायक लेखापाल के पद की पूर्ति के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन दिनांक 01.07.2025 में की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 1 में दर्शित लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारी को म.प्र. जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियम 2016 मध्यप्रदेश राज्य राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 28 जून 2019 में दिए प्रावधानों के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से सहायक लेखापाल के पद पर (वर्तमान लेवल 7 में 28700-91300) में पदोन्नति प्रदान कर उन्हें कॉलम क्रमांक 4 में अंकित पद पर किया जाता है ।

पदोन्नत कर्मचारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	पदोन्नत पद का वेतनमान	पदस्थापना
1	2	3	4
श्री जयकुमार त्रिपाठी, सहायक ग्रेड-3	सहायक लेखापाल	लेवल-7 में 28700-91300	सहायक लेखापाल जिला न्यायालय, हरदा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

03/07/2025

1034(1-6)

पृ0क0...../दो-11-7/05

हरदा, दिनांक 3 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी अधिकारी कार्यालय, अनुभाग, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. जिला कोषालय अधिकारी, हरदा की ओर प्रेषित ।
3. श्री जयकुमार त्रिपाठी, सहायक ग्रेड-3, हरदा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर प्रेषित ।
5. सिस्टम आफिसर, सर्वर रूम हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. लेखापाल/देयक लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

03/07/2025